भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 215

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"तम्बाकू उत्पादों से एकत्रित कर"

215. **श्री राजा राम सिंह:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के लिए सरकार के सकल कर राजस्व में तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी और संबद्ध उत्पादों से एकत्रित करों का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार का तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों से एकत्र किए गए करों के एक भाग का स्वास्थ्य देखभाल संबंधी क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है और क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के लिए टैरिफ शीर्षों 2401, 2402, 2403 के अंतर्गत तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों एवं पान मसाला से एकत्रित करों (जीएसटी, क्षतिपूर्ति उपकर, मूल उत्पाद शुल्क, राष्ट्रीय आपदा आकास्मिक शुल्क (एनसीसीडी) और सीमा शुल्क सहित) का सरकार के सकल कर राजस्व में हिस्सा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	सकल कर राजस्व में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से एकत्रित करों का % हिस्सा
2016-17	1.27
2017-18	2.3
2018-19	2.58
2019-20	2.75
2020-21	2.62
2021-22	2.29
2022-23	2.39
2023-24	2.2*

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों पर आधारित

(ख) और (ग): अन्य स्रोतों से एकत्रित करों के समान ही तम्बाकू से एकत्रित कर भारत सरकार के समग्र सकल कर राजस्व (जीटीआर) का हिस्सा बनता है और इसका उपयोग सरकार की सभी योजनायें और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। बजट वर्ष 2024-25 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 87,657 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसे भारत सरकार की पूंजी और राजस्व प्राप्तियों, दोनों से पूरा किया जाएगा।

*****